लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 400
04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समर्थ योजना

400. श्री जी. सेल्वम:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समर्थ योजना को और दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) समर्थ योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके नियोजन की दर और रोजगार के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या समर्थ योजना ने रोजगार सृजन, निर्यात और घरेलू उत्पादन में वस्त्र उद्योग के विकास में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना ने लाभार्थियों विशेषकर सीमांत समुदायों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ङ) क्या समर्थ योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा पाठ्यक्रम वस्त्र उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति और उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कोई कौशल संबंधी विशिष्ट कमियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए योजना प्राथमिकता दे रही है जैसे कि डिजिटल कौशल, टिकाऊ विनिर्माण पद्धतियां या डिजाइन नवाचार और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): समर्थ योजना को पहले से आवंटित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग): समर्थ योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सहयोग करने के लिए मांग संचालित, रोजगार उन्मुख राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है, जिसमें कताई और बुनाई के अलावा वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है। दिनांक 29.01.2025 तक, 3.56 लाख लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है, इनमें से 2.85 लाख (80%) लाभार्थियों को रोजगार पर रखा गया है।

(घ): समर्थ योजना पूरे देश में मांग संचालित आधार पर लागू की जाती है और इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में एससी, एसटी आदि जैसे वंचित सामाजिक समूहों को वरीयता दी जाती है। दिनांक 29.01.2025 तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों के लगभग 1.41 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है, जो योजना के तहत कुल प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) लाभार्थियों का 40% है।

(ङ) और (च): पाठ्यक्रम के मानकीकरण और इंडस्ट्री वैलीडेशन हेतु समर्थ योजना कौशल विकास के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अपनाए गए सामान्य मानदंड, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप है। वर्तमान में, समर्थ के तहत कार्यान्वयन भागीदारों (आईपी) द्वारा चयन करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम पारंपरिक क्षेत्र के पाठ्यक्रमों से लेकर इंडस्ट्रियल इंजीनियर (आईई) एक्जीक्यूटिव, एडवांस पैटर्न मेकर (कैड/कैम), तकनीकी वस्त्र और सस्टेनेबिलिटी आदि जैसे उन्नत स्तर के पाठ्यक्रमों तक की श्रेणी में हैं।

****